पावरग्रिड
POWERGRID

पावरग्रिड मेरट सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत सरकार का उद्यम)
POWERGRID MEERUT SIMBHAVALI TRANSMISSION LIMITED
(A wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited, A Government of India Enterprise)

कार्यालय : प्लॉट नं0 1, पॉकेट–एन, गंगानगर, मेरठ–250001 (उ0 प्र0) / Office : Plot No. 1, Pocket-N, Ganga Nagar, Meerut-250001 (UP). Ph. : 0121-7962557
CIN :U40106DL2019G01351476

संदर्भ सं.: पावरग्रिड एम.एस.टी.एल/आर. टी. आई./1162

दिनांक:.11.01.2022

सेवा में,

श्री धर्मेंद्र सिंह एड्वोकेट,
सी. ओ. आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउंड,
तहशील गढ़मुक्तेश्वर, जिला - हापुड़

विषय:आर. टी आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 (Indian Postal Order 54F 578283) के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2021 के संदर्भ में पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावाली ट्रांसमिशन लिमिटेड से सम्बंधित बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न. 1: यह कि आपकी कम्पनी द्वारा जो तीन लाइनें बनायीं जा रही हैं । उन्हें बनाये जाने के लिए आपकी कंपनी को अनुमोदन कब कब प्राप्त हुआ ।

जानकारी: 14 Aug 2019 को लइनों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

बिंदु न. 2: यह कि आपकी कंपनी को लाइनें बनाये जाने के लिए अनुमोदन किस विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है ।

जानकारी : प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

बिंदु न.3:यह कि आपकी कंपनी को लाइन बनाये जाने के लिए प्राप्त अनुमोदन पत्र की प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें ।

जानकारी: प्रतिलिपि संलग्न है ।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्रीए .के .मिश्रा,कार्यकारी निदेशक) उ .क्षे (1.प्रथम अपीलीय प्रधिकारी
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,उ .क्षे 1.मुख्यालय,
SCO बे .संख्या5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद) हरियाणा-121002, फोन न .0129-2666301

धन्यवाद|

भवदीय

11/01/2022

[ए.अहमद]
सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी.आई. ओ
पी.एम.एस.टी.एल,मेरठ

समयबद्ध

संख्या--1767/24--1--2019--450/2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग--1 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2019

विषय:-- 765के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र मेरठ व 400के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सिम्भौली का सम्बन्धित लाइनों सहित निर्माण टी0बी0सी0बी0 पद्धति से कराये जाने हेतु विद्युत अधिनियम--2003 के सेक्सन--68 के तहत ओवर हेड लाइनों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:--279/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/मेरठ/सिम्भौली/सेक्सन--68/टी0बी0सी0बी0, दिनांक 23.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करें।

2-- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त 765के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र मेरठ व 400के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सिम्भौली का सम्बन्धित लाइनों सहित निर्माण टी0बी0सी0बी0 पद्धति से कराये जाने हेतु विद्युत अधिनियम--2003 की धारा--68 की उपधारा--1 के अधीन निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु "मेरठ सिम्भौली ट्रांसमिशन लिमिटेड" को अधिकृत किया जाता है:--

(अ) 765/400/220के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, मेरठ सम्बन्धित लाइनों सहित :--

क्रम सं0	पारेषण अवयवों का विवरण
1.	765/400/220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, मेरठ का निम्नलिखित 'बे' सहित निर्माण :--
(i)	765/400 के0वी0, 1500 एम0वी0ए0 आई0सी0टी0 'बे' -- 02 नग
(ii)	765 के0वी0, 240 एम0वी0ए0आर0 बस रियेक्टर 'बे' -- 01 नग
(iii)	400/220 के0वी0, 500 एम0वी0ए0 आई0सी0टी0 'बे' -- 02 नग
(iv)	400 के0वी0, 80 एम0वी0ए0आर0 बस रियेक्टर 'बे' -- 01 नग
(v)	765 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
(vi)	400 के0वी0 फिडर 'बे' -- 04 नग
(vii)	220 के0वी0 फिडर 'बे' -- 06 नग
2.	भविष्य में विस्तार हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त 'बे' का निर्माण :--
(i)	765 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
(ii)	400 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
(iii)	220 के0वी0 फिडर 'बे' -- 04 नग
(iv)	765 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 01 नग
(v)	400 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 02 नग
(vi)	220 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 01 नग
3.	765 के0वी0 उपकेन्द्र, मेरठ पर 765 के0वी0 एकल पथ ग्रे0 नोयडा (765 के0वी0) -- हापुड़ (765 के0वी0) (डब्लू0यू0पी0पी0टी0सी0एल0) का लीलो

I:\sanjay\go 1.doc

669

(घ) 400 / 220 / 132के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, सिम्भावली सम्बन्धित लाइनों सहित :-

क्रम सं0	पारेषण अवयवों का विवरण
1.	400 / 220 / 132 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र, सिम्भौली का निम्नलिखित 'बे' सहित निर्माण :-
(i)	400 / 220 के0वी0, 500 एम0वी0ए0 आई0सी0टी0 'बे' -- 02 नग
(ii)	400 के0वी0, 80 एम0वी0ए0आर0 बस रियेक्टर 'बे' -- 01 नग
(iii)	220 / 132 के0वी0, 200 एम0वी0ए0 आई0सी0टी0 'बे' -- 02 नग
(iv)	400 के0वी0 फिडर 'बे' -- 04 नग
(v)	220 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
(vi)	132 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
2.	भविष्य में विस्तार हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त 'बे' का निर्माण :-
(i)	400 के0वी0 फिडर 'बे' -- 02 नग
(ii)	220 के0वी0 फिडर 'बे' -- 04 नग
(iii)	132 के0वी0 फिन्डर 'बे' -- 04 नग
(iv)	400 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 01 नग
(v)	220 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 02 नग
(vi)	132 के0वी0 ट्रांसफारमर 'बे' -- 01 नग
3	सिम्भौली (400 के0वी0) -- मुरादनगर-- II (गाजियाबाद) 400 के0वी0 द्विपथ लाइन (ट्विन मूज)
4	सिम्भौली (400 के0वी0) -- मेरठ (765 के0वी0) 400 के0वी0 द्विपथ लाइन (ट्विन मूज)

Seal: MEERUT-SIMBHAVALI TRANSMISSION LIMITED, New Delhi.

3- उपरोक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा:-

(1) विद्युत अधिनियम 2003 जैसा कि समय समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) ओवर हेड लाइनों के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) 'मेरठ सिम्भौली ट्रांसमिशन लिमिटेड' द्वारा टी0एस0पी0 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि तक पूर्ण किया जाय।

(4) शासन द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उपरोक्त अनुमोदन / अनुमति वापस लिया जा सकता है।

4- कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(signature)

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

E:\sanjay\go 1.doc